2024 का हरियाणा विधेयक संख्या.....

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024

हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

2017 के हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 3 का प्रतिस्थापन। 2. हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"3. परियोजना भूमि का समेकन.- जहां राज्य सरकार या किसी अभिकरण के पास एक या एक से अधिक राजस्व संपदाओं में आने वाले किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुल परियोजना भूमि का सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व है अथवा उस द्वारा खरीदी गई है और शेष भूमि, निजी भूमि के भू-खण्डों के रूप में रह जाती है, तो राज्य सरकार, ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना भूमि का समेकन कर सकती है।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2017 के मुख्य हरियाणा समेकन (2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 28) का उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकडों को समेकित करने के उद्देश्यों से परियोजना या सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष प्रावधान करना है या आकस्मिक उपचार। मूल अधिनियम को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15) द्वारा संशोधित किया गया और मूल अधिनियम की धारा 3 को 'सत्तर प्रतिशत' से पहले 'या पट्टे पर लिया गया' प्रतिस्थापित किया गया था। हालाँकि, पहले राज्य या उसकी एजेंसी द्वारा अपने स्वामित्व के तहत 'सत्तर प्रतिशत' या अधिक परियोजना भूमि की गिनती करते हुए, पट्टे पर ली जाने वाली भूमि के इस प्रावधान को शामिल करने पर विभिन्न सी0डब्ल्यू0पी0 दायर की गई हैं। तदानुसार, बार-बार मुकदमेबाजी से बचने के लिए और सामंजस्य पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, उपरोक्त धारा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करके 'सत्तर प्रतिशत' शब्द से पहले या पट्टे पर लिया गया शब्दों को हटाकर धारा 3 के मूल प्रावधान को बहाल करना आवश्यक महसूस किया गया है।

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024 का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

(दुष्यंत चौटाला)

चण्डीगढ   उप मुख्यमन्त्री हरियाणा एवं

दिनांक   सदस्य हरियाणा विधान सभा

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 की धारा 3

धारा 3. परियोजना भूमि का समेकन।

जहां राज्य सरकार या किसी अभिकरण के पास एक या एक से अधिक राजस्व संपदाओं में आने वाले किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुल परियोजना भूमि का सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व है अथवा उस द्वारा खरीदी गई है और शेष भूमि, निजी भूमि के भू-खण्डों के रूप में रह जाती है, तो राज्य सरकार, ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना भूमि का समेकन कर सकती है।